RECEIVED 20/7 प्राप्त किया NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

OFFICE OF THE DIR (Plg) MPR/TC, D.D.A., N. DELHI-2 Dy.No. L-101 Dated 5/9/12

Commr. (Plg) - II Despatch 4924 Date 16/08/12

Director (Plg) MPR/TC, D.D.A. Vikas Minar N. DELHI-2 Dy.No. 1295 Dated 17-8-12

शहरी विकास मन्त्रालय के डारेक्टर साहब के आफिस को नं- 011-23061916

माननीय राष्ट्रपति महोदय,
राष्ट्रपति भवन भारत सरकार

सेवा में,
माननीय अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग,
फरीद कोर्ट हाउस, कॉपर निक्स मार्ग,
नई दिल्ली

माननीय सचिव महोदय शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली

फाईल नं0 13(94)98 बिलडिगं/442/209/12 दिनांक 5.7.2012 /डीडीए ।

मानव अधिकार आयोग केस नं- 2144/30/3/2012/OC (डॉ डिवीजन)

विषय :- **मानवीय अपील** कृपा मेरे घर परिवार रोजगार व मेरे बच्चों के भविष्य की रक्षा करे डी डी ए के बिल्डिगं विभाग के **अर्थहीन संगत अन्धेरे नगर चौपट राजा का किस्सा** बनाकर मुझे और मेरे परिवार को हर पल हर क्षण तडफा तडफा कर तिल– तिल कर मारने की सजा दी हुई है जो सजाये मौत से भी बहुत ज्यादा है मेरी दुकान को सील किया है बाल की खाल, खाल की भी खाल बरीकी से उधेड उधेड कर जबरदस्ती सील किया हुआ है हम बहुत परेशान है बच्चे बेटियां – बेटा जवान है शादियां करने का वक्त था सब कुछ बर्बाद कर दिया डी डी ए के निजी अहम ने जो किसी प्रकार तर्क संगत भी तो नही है कृपा करें । मेरा रोजगार वापिस दिलाकर मुझे दिलाये या कोई जवाब तो दिलाये कि क्या सही है आज तक कहीं से कोई जवाब नहीं मिला है

1. डी डी ए ने मेरी दुकान मान्यता प्राप्त लाईसेन्स शुदा डीडीए के मान्यता प्राप्त एम एल यू द्वारका सेक्टर 6, में फ्रण्ट की अच्छी बढिया टू साईड ओपन है लेकिन हम एक ही तरफ के शटर को खोलते है दुसरी साईड शटर खोलने की हमें जरूरत ही नही पडती है जावा जी आटा चक्की जोकि दस साल से भी अधिक समय से चल रही थी को सील किया । अचानक यह बताकर कि यह तो नक्शे में स्टोर.Store लिखा है कमर्शियल मे और तब डी डी ए के पास स्टोर की कोई परिभाषा

स्टोर का मतलब दुकान होता है व भी वहा जहाँ पर स्टोरेज वाहयदो कानूनन मुझे जबरदस्ती गैर कानूनी काम करने को कहा जा रहा है

AD (Plg) III

भी नही थी क्योकि बिल्डर को स्टोर रखने की कोई शर्त नही थी डी डी ए की ।

2. मैने आपको माननीय अध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में व माननीय राष्ट्रपति महोदया को भी पत्र लिखे थे जोकि आपने शहरी विकास मंत्रालय को सौंप दिये एक्शन के लिये, लेकिन मुझे फिर भी कहीं से आज तक कोई जबाव नही मिला है ।

3. डी डी ए के बिल्डिगं विभाग ने आपके जबाव में लेटर लिखा है जिसकी कापी भी मुझे डी डी ए ने नहीं दी है फिर मैंने आर टी आई डाल कर ली है जोकि फाईल नं0 13(94)98 बिल्डिगं/442 दिनांक 5.7.2012 डिप्टी डायरेक्टर विकास सदन डी डी ए है में जो लिखा है वह गलत जबाव है मेरी दुकान 6 वर्ग मीटर की ही है सिर्फ 2 वर्ग इंच ही कम है और मेरी दुकान के दो ओपनी शटर गेट है एक ओपनी 5 फुट की है और दूसरी ओपनी (एन्ट्रेंर्स) 5.5(साढे पांच) फुटसे ज्यादा है तो फिर डी डी ए को और क्या चाहिये था मैने मार्किट में फ्रण्ट लोकेशन की एक सिगंल नम्बर की बेस्ट लोकेशन की दुकान है मेरी दुकान का नम्बर भी किसी दुसरे के दुकान का पार्ट नम्बर नही है एस जी –5 है जोकि अपने आप में पूर्ण एवं स्वतंत्र नंबर है ।

4. दिल्ली मास्टर प्लान 2021 व डी डी ए मास्टर प्लान, प्लनिगं विभाग विकास मीनार के डिप्टी डायरेक्टर की आर टी आई में जबाव दिया एफ–2(199)2012/उप0नि0/मो0/एम. पी./आर टी आई 96/डी–51 दिनांक 25.4.2012 में कहां है कि मैं आटा चक्की चला सकता हूँ इस एम एल यू में और स्टोर.Store की कोई परिभाषा या व्याख्या नही है मास्टर प्लान में और मैं इस एम एल यू में स्टोरेज

93

यानि भंडारन नही कर सकता मास्टर प्लान के अनुसार।

5. लेकिन डी डी ए बिल्डिगं विभाग इसका उल्टा कहता है कि मैं स्टोरेज यानि की भंडारन करू इस एम एल यू में स्टोर.Store की अब भी यही परिभाषा कहता है बताये मैं क्या करूं ।

महोदय,

निवेदन यह हैकि मैने उपर विषय में लिखा है कृपा मुझे मेरे परिवार और मेरे बच्चों के भविष्य के साथ डी डी ए बिल्डिगं विभाग बहुत गलत कर रहा है कृपा मेरे परिवार और रोजगार व सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करें आपकी अति कृपा होगी ।

धन्यवाद सुरेश कुमार

भवदीय

सुरेश कुमार

दिनांक 20.07.2012 सुरेश कुमार 14-8-12

सुरेश कुमार जावा ,
जावा जी आटा चक्की

दुकान नं0 एस जी –5,प्लाट नं0 15 एण्ड 16, सुप्रीम प्लाजा
एम एल यू मैन मार्किट सेक्टर –6,द्वारका नई दिल्ली 110075
मो0नं0 9811370962 ई मेल नं0 sureshkumarjawa@yahoo.in

संलग्नक :–

1. मानव अधिकार आयोग केस नं0 2144/30/3/2012 दिनांक 17.4.2012 के लेटर की कापी जोकि शहरी विकास मंत्रालय को दिया ।

2. शहरी विकास मंत्रालय का लेटर डी डी ए को नं0 एन–11013/11/2010 डी डी. आई. बी.दिनांक 30.4.2012 के लेटर की कापी ।

3. शहरी विकास मंत्रालय का लेटर डी डी ए को नं0 एन–11013/6/2012 डी डी. आई. बी.दिनांक 11.5. 2012 के लेटर की कापी ।

4. डी डी ए विभाग का लेटर जो आपको भेजा गया फाईल नं0 13(94)98 बिल्डिगं/442 दिनांक 5.7.2012 डिप्टी डायरेक्टर विकास सदन डी डी ए का जबाव शहरी विकास मंत्रालय को, लेटर की कापी ।

5. डी डी ए बिल्डिगं विभाग का आर टी आई में जबाव की स्टोर की कोई शर्त या परिभाषा बिल्डर को नही रखी थी डी डी ए ने, के लेटर की कापी ।

6. डी डी ए के मास्टर प्लान डिप्टी डायरेक्टर प्लानिगं विकास मीनार का जबाव आर टी आई में की इस एम एल यू के आटा चक्की चला सकते है लेकिन स्टोरेज नही कर सकते, के लेटर की कापी।

7. मेरी दुकान व 15 व 16 के नक्शा की कापी की प्रति संलग्न है ।

8. आटा चक्की लाईसेन्स व लाईसेन्स रिन्यूवल की फीस की कापी की प्रति संलग्न है ।

9. बिजली व टेलीफोन के बिल की कापी ।

10. सील करने से पहले डी डी ए का वह लैटर जो दीवारों पर चिपकाया गया था जिसमें मेरी दुकान का नम्बर नही है की कापी ।

11. सील करने के बाद डी डी ए का लेटर जिसमें मेरा दुकान नम्बर नही है और फिर काट कर मेरी दुकान का नम्बर लिखा की कापी ।

12 बिल्डर का (नो ऑब्जेक्शन सर्टीफिकेट) आटा चक्की चलाने की परमीशन

13. हिन्दी इंगलिश डिक्शनरी की कापी